

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसएफडीसी)

1. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की स्थापना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 [अर्थात् कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25(पूर्ववर्ती)] के तहत "लाभ न कमाने वाली कंपनी" के रूप में 1989 में हुई थी जिसका उद्देश्य गरीबी रेखा से दोगुना नीचे जीवन यापन करने वाले एससी लाभार्थियों (वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्र के लिए वार्षिक पारिवारिक आय 98,000/- रुपए तथा शहरी क्षेत्रों के लिए यह 1,20,000/- रुपए वार्षिक है) के आय सृजन कार्यक्रमों का वित्तपोषण करना है। एनएसएफडीसी लक्षित समूहों को ऋण, कौशल प्रशिक्षण, उद्यमिता विकास कार्यक्रम के माध्यम से सहायता प्रदान करता है तथा राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों, आरआरबी, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तथा अन्य संस्थाओं के माध्यम से विपणन सहायता प्रदान करता है।
2. एनएसएफडीसी की 1500 करोड़ रुपए की प्राधिकृत शेयर पूंजी है। इसकी तुलना में भारत सरकार ने दिनांक 31.01.2017 को 1219.80 करोड़ रुपए की इक्विटी जारी की है।
3. एनएसएफडीसी इस शर्त के अध्यक्षीन परियोजना लागत के 90% तक का ऋण प्रदान करते हैं कि चैनेलाइजिंग एजेंसियां स्कीम के अनुसार सहायता के अपने हिस्से का योगदान करें तथा यह अन्य स्रोत यदि कोई हो, से वित्तीय संसाधनों को मिलाने के अलावा, अपेक्षित राज्य सहायता प्रदान भी करता है।
4. चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से एनएसएफडीसी द्वारा प्रचालित प्रमुख स्कीमों का विवरण निम्नानुसार है :-

(क) ऋण आधारित स्कीम :

क्रम सं.	स्कीम और ऋण राशि	एससीए/आरआरबी/ सरकारी क्षेत्र के बैंक और अन्य संस्थानों से प्रभारयोग्य ब्याज	लाभार्थियों से प्रभारयोग्य ब्याज
1.	सावधि ऋण 5.00लाख रुपए तक	3%	6%
2.	सावधि ऋण 5.00 रुपए से अधिक और 10.00लाख रुपए तक	5%	8%
3.	सावधि ऋण 10.00 लाख रुपए से अधिक और 20.00 लाख रुपए तक	6%	9%

4.	सावधि ऋण 20.00 लाख रुपए से अधिक और 30.00लाख रुपए तक	7%	10%
5.	माइक्रो क्रेडिट वित्त 50,000/- रुपए तक	2%	5%
6.	महिला समृद्धि योजना 50,000/- रुपए तक	1%	4%
7.	महिला किसान योजना 50,000/- रुपए तक	2%	5%
8.	शिल्प समृद्धि योजना 50,000/- रुपए तक	2%	5%
9.	लघु व्यवसाय योजना 3.00लाख रुपए तक	3%	6%
10.	शिक्षा ऋण योजना 10.00 लाख रुपए तक (भारत) और 20.00 लाख रुपए तक (विदेश में)	1.5% (1% महिलाओं के लिए)	4% (3.5% महिलाओं के लिए)
11.	**नारी आर्थिक सशक्तिकरण योजना (एनएसवाई) (योग्य महिलाएं किसी भी एनएसएफडीसी स्कीम का लाभ उठा सकती हैं)	1%	4%
12.	व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण ऋण योजना	1.5% (1% महिलाओं के लिए)	4% (3.5% महिलाओं के लिए)
13.	ग्रीन बिजनेस स्कीम 1.00 लाख रुपए तक 1.00 लाख रुपए से अधिक तथा 2.00 लाख रुपए तक।	1% 2%	3% 5%
14.	आजीविका सूक्ष्म वित्त योजना (एएमवाई) 60,000/- रुपए तक	5% (4% महिलाओं के लिए)	13% (12% महिलाओं के लिए)

*नोट : एनएसवाई के लिए अधिकतम 4000/- रुपए प्रति यूनिट के अध्यक्षीन स्कीम के अंतर्गत कवर लाभार्थियों के लिए 'हैण्डहोल्डिंग कार्यकलाप" करने के उद्देश्यार्थ अनुदान के

रूप में ऋण राशि का 2% चैनेलाइजिंग एजेंसियों को प्रदान किया जाएगा।

(ख) गैर-ऋण आधारित स्कीम :

1	कौशल प्रशिक्षण	प्रतिमाह 1500/- रुपए प्रति प्रशिक्षणार्थी की दर पर वृत्तिका सहित 100% अनुदान।
2	प्रदर्शनी/मेला और विपणन/प्रशिक्षण/ई-कामर्स	एनएसएफडीसी अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय तथा जिला स्तरीय प्रदर्शनियों/मेलों में भागीदारी करता है तथा लाभार्थियों को अपने उत्पादों की प्रदर्शनी लगाने तथा बिक्री करने के लिए निःशुल्क स्टाल उपलब्ध करवाता है। इन प्रदर्शनियों में लाभार्थियों को अपने उत्पादों की समुन्नत करने/पुनः डिजाइन करने के लिए विपणन प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है। बेहतर सेल्समैनशिप के लिए टीसी इनपुट (ओवर द काउंटर) भी दिए जाते हैं।

5. पिछले छः वर्षों के दौरान एनएसएफडीसी का निष्पादन निम्नानुसार रहा है:-

वर्ष	जारी इक्विटी शेयर (करोड़ रुपए में)	संवितरण (करोड़ रुपए में)	कवर किए गए लाभार्थियों की संख्या
2011-12	85.00	182.77	43,772
2012-13	100.00	201.55	50,048
2013-14	100.00	245.14	54,975
2014-15	100.00	270.27	70,885
2015-16	100.00	378.94	71,915
2016-17 (31.01.2017 तक)	138.00	161.30	39,688

एनएसएफडीसी ने 31.01.2017 तक 3560 करोड़ रुपए की धनराशि (संचयी) संवितरित की है तथा 10.45 लाख लाभार्थियों को कवर किया है। अधिक सूचना के लिए एनएसएफडीसी की वेबसाइट <http://nsfdc.nic.in> का अवलोकन करें जो नई विन्डो में खुलती है।